भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 436

02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालक उत्पादक संगठन

436. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वास्तविक मछुआरा समुदायों को वित्तीय सहायता और उनका समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए मत्स्यपालक उत्पादक संगठन बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) मत्स्य शक्ति परियोजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितना बजटीय आवंटन किया गया है/कितनी धनराशि संवितरित की गई है;
(ग) पश्चिम बंगाल सहित देश में गठित ऐसे मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पश्चिम बंगाल में मत्स्यपालन पर आधारित उद्यमशीलता को मज़बूत करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ मत्स्य किसान उत्पादक संगठन [फिश फार्मर प्रोड्यूसर ओरगेनाईज़ेशंस(FFPOs)] के गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि मछुआरों और मत्स्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और उनकी मोलभाव करने की क्षमता बढ़ाई जा सके। विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने देश में कुल 2195 FFPOs गठित करने के लिए 544.86 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में 41 FFPOs शामिल हैं। यह परियोजना केंद्रीय एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह सूचित किया गया है कि अब तक पश्चिम बंगाल राज्य में 41 FFPOs सहित देश में कुल 1990 मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs) का गठन किया गया है।

(ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (ICAR-CMFRI) को 690 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दिया गया है। 690 लक्षित लाभार्थियों में से 270 लाभार्थियों को गैर-परंपरागत मात्स्यिकी आधारित कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा यानि 90 लाभार्थियों को फिश हैचरी उत्पादन और 180 लाभार्थियों को केज कल्चर मत्स्यपालन में और, 420 महिलाओं लाभार्थियों को नेतृत्व और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए लक्षित किया गया है, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने और प्रबंधित करने में उन्हें सक्षम बनाना है। यह भी सूचित किया गया है कि लगभग 56 लाख रुपए के कुल परियोजना परिव्यय के साथ, यह पहल तटवर्ती अल्पसंख्यक समुदायों के दीर्घकालिक सशक्तिकरण, आजीविका सुदृढ़ता और सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में एक रणनीतिक निवेश है।

(ग): PMMSY के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य समेत देश में गठित मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs) का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में प्रस्तुत है।

(घ): प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी आधारित उद्यमिता को सुदृढ़ करने पर महत्त्व देती है और मछुआरों, मत्स्य किसानों और उद्यमियों को विभिन्न मात्स्यिकी, जलीय कृषि और पोस्ट-हारवेस्ट से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अब तक PMMSY के अंतर्गत 226.86 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 546.58 करोड़ रुपए की कुल लागत पर मात्स्यिकी और पोस्ट हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित जलकृषि के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। उपरोक्त परियोजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित प्रमुख गतिविधियों में फिश हैचरी की स्थापना, बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण, सजावटी मत्स्यपालन इकाइयाँ, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना, फिश फीड मिल, आइस प्लांट्स/कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजेरेटेड/इंसुलेटेड वाहन, होलसेल फिश मारकेट्स की स्थापना, राज्य में मौजूदा फिशिंग हार्बर को आधुनिक बनाना /अपग्रेड करना शामिल है।

*****

अनुबंध - I

मत्स्य किसान उत्पादक संगठन के संबंध में 2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं 436 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण - विगत पांच वर्षों (वित्तीय 2020-21 से 2024-25) के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत गठित मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs) का राज्य-वार विवरण :

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का नाम	गठित FFPO की संख्या
1	मध्य प्रदेश	107
2	झारखंड	28
3	ओडिशा	30
4	उत्तर प्रदेश	75
5	महाराष्ट्र	196
6	जम्मू और कश्मीर	2
7	हिमाचल प्रदेश	18
8	लद्दाख	1
9	छत्तीसगढ	56
10	गुजरात	95
11	दमन और दीव	2
12	बिहार	48
13	मणिपुर	148
14	मेघालय	9
15	असम	176
16	मिजोरम	18
17	त्रिपुरा	122
18	तेलंगाना	245
19	आंध्र प्रदेश	176
20	तमिलनाडु	113
21	उत्तराखंड	32
22	पश्चिम बंगाल	41
23	केरल	127
24	कर्नाटक	64
25	हरियाणा	2
26	राजस्थान	10
27	नागालैंड	43
28	गोवा	3
29	पुदुच्चेरी	1
30	अरुणाचल प्रदेश	2
	कुल	**1990**

*****